

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 1975/आषाढ़ 26, 1897
No. 140] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 1975/ASADHA 26, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 1975

No. F.4(2)-W&M/75.—Subscriptions for the issues of $5\frac{1}{2}$ per cent. Loan, 1982, 6 per cent. Loan 1993 and $6\frac{1}{2}$ per cent. Loan 2003 will be received from the 26th July, 1975. Subscriptions will be received in the form of cash or of Securities of Government of India $4\frac{1}{2}$ per cent. Loan 1975 and the issues will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions in cash and conversion amount approximately to Rs. 400 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 29th July, 1975. Government reserve the right to retain subscriptions received up to 10 per cent. in excess of the sum of Rs. 400 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 440.00 crores (Nominal), partial allotment will be made to the subscribers in cash. If partial allotment is made in respect of subscriptions received in cash, a proportionate refund will be made as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. $5\frac{1}{2}$ per cent. Loan 1982 issued at Rs. 99.40 per cent. and redeemable at par on the 26th July, 1982.

(1) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 26th of July, 1982.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 99.40 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 5½ per cent. per annum from 26th July, 1975. Interest will be paid half-yearly on the 25th January and 26th July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-Tax Act, 1961.

4. 6 per cent. Loan 1993 issued at Rs. 98.50 per cent. and redeemable at par on the 26th July, 1993.

(i) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 26th of July, 1993.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 98.50 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 6 per cent. per annum from 26th July, 1975. Interest will be paid half-yearly on the 25th January and 26th July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5. 6½ per cent. Loan, 2003 issued at Rs. 100 per cent. and redeemable at par on the 26th July, 2003.

(i) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 26th July, 2003.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 6½ per cent. per annum from 26th July, 1975. Interest will be paid half-yearly on the 25th January and 26th July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

CONVERSION TERMS

6. Securities of the 4½ per cent. Loan 1975 will be accepted for conversion into the new loans at par. Interest at the rate of 4½ per cent. per annum on the securities of 4½ per cent. Loan 1975 tendered for conversion will be paid upto and inclusive of 25th July, 1975 at the time of issue of new securities.

If the cash value of the securities tendered is not an exact multiple of the issue price per cent. of the new loans applied for, the tenderer will receive in cash at the time of issue of new securities, the amount by which the value of the securities tendered exceeds the nearest lower multiple of the issue price.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

7. **Place of payment of interest.** Interest on the loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any Treasury or Sub-treasury elsewhere in India except the State of Jammu and Kashmir, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

8. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the loan who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

9. Interest on all the loans now issued together with interest on other previous Government securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

10. The value of investments in the loans now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax upto Rs. 1,50,000.

11. The securities will be issued in the form of—

- (i) stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or
- (ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

12. **Applications for the loans.**—Applications for the loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

13. Applications will be received at—

- (a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna;
- (b) Branches of the subsidiary banks of the State Bank of India conducting Government treasury work except at Hyderabad; and
- (c) Branches of the State Bank of India at other places in India.

14. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

15. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque or securities of Loan which is acceptable for conversion. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its subsidiary banks should be drawn in favour of the bank concerned.

The securities tendered for conversion must be transferred by the holder to the Government—

- (i) in the case of Stock Certificates by signing the form of transfer deed on the reverse of the certificate before a witness.
- (ii) in the case of promissory Notes, by endorsing them in the manner indicated below:—
“Pay to the President of India”.

16. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the loans tendered by them and bearing their stamp.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the paying offices within six months from the date of floatation of the loans.

By order of the President,

B. MAITHREYAN,

Joint Secretary to the Government of India.

FORM OF APPLICATION

I/We.....herewith tender *Cash Rs.....*Cheque
 [Full Name(s) in Block letters]

for Rs.....*Securities of Government of India 4½ per cent. Loan, 1975 of the nominal value of Rs.....and request that securities of 5½ per cent. Loan, 1982*/6 per cent. Loan 1993*/6½ per cent. Loan, 2003* of the nominal value of Rs.....may be issued to me/us in the form of Promissory Note(s)†

Stock Certificate interest to be payable at.....

Signature.....

Name in full.....
 (Block letters)

.....

Address.....

.....

Dated the of July, 1975.

NOTE.—(1) Securities tendered for conversion should be endorsed with the words "Pay to the President of India" over the signature of the applicant, if they are in the form of Promissory Notes, and the transfer deed on the back should be signed by him before a witness, if they are in the form of Stock Certificates.

(2) Separate application should be made for each Loan, each form of subscription, and each form of scrip (Stock Certificate of Promissory Note) of the new Loan required.

(3) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(4) If the application is made in the name of a registered body, the under-noted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:—

(i) Certificate of Registration/Incorporation.

(ii) Memorandum and Article of Association or certified copies of the Rules and Regulations/Bye-laws of the body/company.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

(5) Applicants desiring the issue of scrips in the form of Stock Certificates should also complete a Mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for transmission of half-yearly interest to them.

*Delete what is not required.

†Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denomination required.

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1975

सं० एफ० 4(2)इबल्यू. एण्ड एम०/75—5½ प्रतिशत के ऋण, 1982, 6 प्रतिशत के ऋण, 1993 और 6½ प्रतिशत के ऋण, 2003 के लिए 26 जुलाई, 1975 से रकम लेनी शुरू की जायगी। यह रकम नकद या 4½ प्रतिशत के ऋण, 1975 की भारत सरकार की सिश्यूरिटियों के रूप में ली जायगी, और जैसे ही यह प्रतीत होगा कि न. द और सिश्यूरिटियों के रूप में प्राप्त कुछ रकम लगभग 400 करोड़ रुपयों (सांकेतिक) तक हो गयी है, कोई सूचना दिये बिना किन्तु हर हालत में 29 जुलाई, 1975 को कारोबार समाप्त होने पर रकम लेनी बन्द कर दी जायगी। सरकार को 400 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत तक की रकम को अपने पास रखने का अधिकार है।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों के लिए कुल रा.म 440.00 करोड़ रुपयों (सांकेतिक) से अधिक प्राप्त होगी तो नकद रकम जमा करने वालों में आंशिक आवंटन किया जायगा। यदि नकद जमा होने वाली रकम के संबंध में आंशिक आवंटन किया जाता है तो आवंटन के बाद अनुपात के आधार पर रकम यथा-श.घ्न वापस लौटा दी जायगी। इस प्रकार जो रकम लौटायी जायगी उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जायगा।

3. रु० 99.40 प्रतिशत पर जारी किया जाने वाला और 26 जुलाई, 1982 को सममूल्य पर चुकाया जाने वाला 5½ प्रतिशत ऋण, 1982

(i) ऋण के चुकता किये जाने की तारीख—यह ऋण 26 जुलाई, 1982 को सममूल्य पर चुकाया जायगा।

(ii) निर्गम मूल्य—प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) के ऋण का निर्गम मूल्य रु० 99.40 होगा।

(iii) ब्याज—इस ऋण पर 26 जुलाई, 1975 से प्रतिवर्ष 5½ प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायगा। यह ब्याज प्रत्येक छमाही 25 जनवरी, और 26 जुलाई को दिया जायगा। इस प्रकार दिये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा।

4 प्रति 100 रुपये के लिए 98.50 की दर पर लिया जाने वाला और 26 जुलाई, 1993 को सममूल्य पर चुकाया जाने वाला 6 प्रतिशत का ऋण, 1993

(i) ऋण के चुकता किये जाने की तारीख—यह 26 जुलाई, 1993 को सममूल्य पर चुकाया जायगा।

(ii) निर्गम मूल्य—प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) के ऋण का निर्गम मूल्य रु० 98.50 होगा।

(iii) ब्याज—इस ऋण पर 26 जुलाई, 1975 से प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायगा। यह ब्याज प्रत्येक छमाही 25 जनवरी, और 26 जुलाई, को दिया जायगा। इस प्रकार दिये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा।

5. प्रति 100 रुपये के लिए 100 रा.ए. प्रतिशत की दर पर लिया जाने वाला और 26 जुलाई, 2003 को सममूल्य पर चुकाया जाने वाला 6½ प्रतिशत का ऋण, 2003

(i) ऋण के चुकता किये जाने का तारीख—यह ऋण 26 जुलाई, 2003 को सममूल्य पर चुकाया जायगा।

(ii) निर्गम मूल्य—प्रत्येक रु० 100.00 (संकेतिक) के ऋण का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।

(iii) ब्याज—इस ऋण पर 26 जुलाई, 1975 से प्रति वर्ष $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायगा। यह ब्याज प्रत्येक छमाही 25 जनवरी और 26 जुलाई, को दिया जायगा। इस प्रकार दिये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लेंगे।

सिक्कूरिटियों के नये ऋण में बदलने की शर्तें

6. नये ऋणों में $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत, ऋण, 1975 की सिक्कूरिटियों का बदला जाना सममूल्य पर स्वीकार किया जायगा। बदलने के लिए प्रस्तुत की गयी $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण, 1975 की सिक्कूरिटियों पर उनके बदले नयी सिक्कूरिटियाँ जारी करते समय 25 जुलाई, 1975 (उस दिन को मिलाकर) तक वार्षिक $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर पर ब्याज दिया जायगा।

यदि प्रस्तुत की गयी सिक्कूरिटियों की नकद रकम दिये जा रहे नये ऋणों के प्रतिशत निर्गम मूल्य का सटीक गुणज नहीं है तो प्रस्तुत की गयी सिक्कूरिटियों का मूल्य निर्गम मूल्य के निकटतम न्यूनतर गुणज से जितना अधिक होगा उतनी रकम प्रस्तुतकर्ता को नयी सिक्कूरिटियाँ जारी करते समय नकद दी जायगी।

पूरक व्यवस्थाएँ

7. ब्याज दिये जाने का स्थान—इन ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना स्थित लोक ऋण कार्यालयों, जम्मू व काश्मीर को छोड़कर भारत के किसी भी खजाने में और जम्मू तथा श्रीनगर स्थित केन्द्रीय सरकार के बेटन और लेखा कार्यालयों में ब्याज अदा किया जायगा।

8. इन ऋणों पर ब्याज अदा करते समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों पर) पहले काटे गये कर की रकम उन लोगों को लौटा दी जायगी जिन पर यह कर नहीं लगना चाहिए या जिन पर उन दरों पर कर लगता है जो काटे गये कर की दर से कम है।

जिस पर कर नहीं लगना चाहिए या निर्धारित दर से कम दर पर कर लगना चाहिए वह अपने हलके के आयकर अधिकारी को आवेदन पत्र दे कर उनका एक प्रमाण पत्र ले सकता है जिसमें यह प्राधिकृत किया गया हो कि कर की कटौती किये बिना या उस पर लागू होने वाली न्यूनतम दर पर कर की कटौती कर उसे ब्याज अदा किया जाय।

9. इस समय जारी किये जाने वाले सभी ऋणों और इसके पहले की अन्य सरकारों सिक्कूरिटियों पर मिलने वाले ब्याज तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से मिलने वाली आय पर आयकर से वार्षिक 3,000 रुपये की सीमा तक और आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ठ के अन्य उपबन्धों के अधीन छूट होगी।

10. इस समय जारी किये जाने वाले ऋणों में लगायी जाने वाली रकम और इससे पहले सरकारी सिक्कूरिटियों में लगायी गयी रकम व धन कर अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य निवेशों के रकम को भी 1, 50,000.00 रुपये की सीमा तक धन कर से छूट होगी।

11. सिक्कूरिटियाँ निम्नलिखित रूप में जारी की जायंगी :

(i) पूजोपत्र, इसमें पूजों लगाने वालों को पूजों पत्र दिये जायेंगे।

(ii) वचन पत्र ।

यदि आवेदक इनमें से किसी के पक्ष में अपनी तरजीह का उल्लेख न करें तो सिक्यूरिटियां वचन पत्रों के रूप में जारी की जाएंगी ।

12. ऋण के लिये आवेदन पत्र—ऋणों के लिए जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायें वे रु० 100 या उसके गुणजों के लिए होने चाहिए ।

13. आवेदन पत्र निम्नलिखित स्थानों में स्वीकरा किये जायेंगे :—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, बंबई (थोर्टे और भायखला), कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना स्थित कार्यालय ।

(ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया के हैदराबाद स्थित सहायक बैंक को छोड़ कर अन्यत्र स्थित सहायक बैंक जो सरकारी खजाने का कार्य करते हैं ; और

(ग) भारत में अन्य स्थानों पर स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं ।

14. आवेदन पत्र इसके साथ संलग्न फार्म में या किसी ऐसे दूसरे फार्म में होने चाहिए जिसमें अपेक्षित सिक्यूरिटियों की रकम और इनका विवरण, आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख हो जायें आवेदक ब्याज की अदायगी लेना चाहता है ।

15. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रकम नकद रूप में या चेक या बदले जाने के लिए स्वीकार्य ऋण की सिक्यूरिटियों के रूप में दी जानी चाहिए । भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया या उसके सहायक बैंकों के कार्यालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक संबंधित बैंक के नाम बने होने चाहिए । बदलने के लिए दी जाने वाली सिक्यूरिटियों के धारकों को चाहिए कि वे उन्हें ।

(i) पूर्ण पत्रों के होने पर इनके पृष्ठभाग पर दिये अंतरण विलेख के फार्म पर किसी साक्ष्य की मौजूदगी में हस्ताक्षर कर,

(ii) वचनपत्रों के होने पर निम्न रीति से उन पर बेचान किया लिख कर :—

“भारत के राष्ट्रपति को अदा किया जाय ”

सरकार को अंतरित करें ।

16. मान्यताप्राप्त बैंकों और दलालों को उनके द्वारा प्रस्तुत और उनकी मोहरयुक्त ऋण आवेदन पत्रों पर किये गये आवंटनों पर प्रति रु० 100 (सांकेतिक) 6 पैसे की दर पर दलाली अदा की जायगी ।

दलाली की अदायगी के लिए ऋण जारी किये जाने की तारीख से छह महीने के भीतर अदायगी कार्यालयों में दावे पेश किये जाने चाहिए ।

राष्ट्रपति के आदेश से

बी० मैन्वेन,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

आवेदन-पत्र

मैं/हम

(पूरा / पूरे नाम)

..... रुपये नकद* रूप्यों के लिए
 चेक,* रूप्यों के सांकेतिक ऋण की 4- $\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण, 1975 की भारत सरकार
 की सिक्कूरिटियां*, प्रस्तुत करता हूं / करते हैं और यह अनुरोध करता हूं / करते हैं कि मुझे / हमें
 वचनपत्र (पत्रों) †† के रूप में रूप्यों के सांकेतिक मूल्य
 के 5- $\frac{1}{2}$ प्रतिशत के ऋण, पूंजी पत्र 1982*/6 प्रतिशत के ऋण 1993*, / 6 $\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण
 2003 की सिक्कूरिटियां* दी जाय और उनका ब्याज में भ्रदा किया जाय ।

दिनांक, जुलाई, 1975

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पता

टिप्पणी:—(1) नये ऋणों में बदलने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सिक्कूरिटियां को, यदि वे वचनपत्रों के रूप में हों, तो आवेदक के हस्ताक्षरों के ऊपर “भारत के राष्ट्रपति को भ्रदा किया जाय” शब्दों के साथ बेचान लिखा जाय और यदि वे पूंजी पत्रों के रूप में हों तो उनके पीछे अंतरण विले वर आवेदक के द्वारा किसी साक्ष्य की मौजूदगी में हस्ताक्षर किये जायें ।

(2) प्रत्येक ऋण प्रत्येक रकम और अपेक्षित नये ऋण की प्रत्येक पत्र (पूंजी पत्र या वचन-पत्र) के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाय ।

(3) यदि आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के रूप में हों तो दो व्यक्ति द्वारा उसको साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए । साक्षियों के हस्ताक्षरों के नीचे उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाने चाहिए ।

(4) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से दिया जाय तो निम्नलिखित कागजात यदि वह किसी लोक ऋण कार्यालय में पहले से ही पंजीकृत न किये गये हों, संलग्न किये जाने चाहिए :—

(i) पंजीकरण/निम्न का प्रमाणपत्र ।

(ii) निकाय/कंपनी का ज्ञापन पत्र और अंतनियम या नियमों और विनियमों/उप-नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां ।

(iii) निकाय/कंपनी की ओर से सरकारी सिक्कूरिटियों का लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत ठाकित के पक्ष में संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि;

(5) जो आवेदक पूंजीपत्र के रूप में वचनपत्र लेना चाहते हैं, उन्हें छमाही ब्याज के भेजे जाने के लिए आदेश फार्म (लोक ऋण कार्यालयों में उपलब्ध) भी भरना चाहिए ।

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाय ।

†† रु० 100, रु० 200, रु० 500, रु० 1,000, रु० 5,000, रु० 10,000, रु० 25,000 रु० 50,000 और रु० 1,00,000 के मूल्य वर्गों में वचनपत्र दिये जायेंगे । जो मूल्य वर्ग अपेक्षित हो उसका उल्लेख यहां किया जाय ।